# मध्यप्रदेश विधान सभा

## संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

**बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2015 (31 आषाढ़, शक सम्वत् 1937)**

**विधान सभा पूर्वाह्न 10 : 35 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.**

### 1. गर्भगृह में प्रवेश एवं नारेबाजी

बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्यगण द्वारा व्यापम मामले को लेकर पोस्टरनुमा एप्रिन पहनकर गर्भगृह में प्रवेश कर नारेबाजी की गई. व्यवधान के कारण, प्रथम प्रश्नकर्ता, श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य का प्रश्न चर्चा में न आ पाने से गर्भगृह की ओर बढ़े एवं संसदीय कार्य मंत्री की समझाईश पर वापस अपने आसन पर गए.

### 2. प्रश्नोत्तर

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्नकाल के प्रारम्भ में प्रथम प्रश्न के लिए श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य का नाम पुकारा गया. किन्तु विपक्षी सदस्यों द्वारा अत्यधिक व्यवधान उत्पन्न करने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का बार-बार अनुरोध किया गया. व्यवधान के कारण प्रश्नोत्तर नहीं हो सके.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 87 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 104 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने से व्यवधान होने के कारण, माननीय अध्यक्ष द्वारा 10.40 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर, 10.53 बजे पुन: समवेत की गई.

**अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.**

बहुजन समाज पार्टी एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में आकर, लगातार नारेबाजी की गई. कार्यवाही में व्यवधान होने के कारण माननीय अध्यक्ष द्वारा 10.55 बजे सदन की कार्यवाही 11.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाकर, 11.37 बजे पुन: समवेत की गई.

**अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.**

### 3. कार्यक्रमों की सूचनाओं सम्बन्धी अध्यक्षीय घोषणा

**(1) प्रश्नोत्तर प्रबंधन की ऑनलाइन प्रक्रिया - "ई-विधान" मोबाइल एप के शुभारंभ की सूचना**

**(2) तंबाकू सेवन निषेध पर संवेदीकरण कार्यक्रम**

**(3) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 3 पोर्टल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम**

अध्यक्ष महोदय द्वारा 20 जुलाई, 2015 को मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रश्नोत्तर प्रबंधन की ऑनलाइन प्रक्रिया से संबद्ध "ई-विधान" मोबाइल एप का शुभारंभ किये जाने एवं आधार नंबर पंजीयन संबंधी सूचना से सदन को अवगत कराया गया. इसके अतिरिक्त दिनांक 22 जुलाई, 2015 को अपराह्न 1.00 बजे से 2.30 बजे की अवधि में विधान सभा भवन स्थित आडिटोरियम में मध्यप्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा तंबाकू सेवन निषेध पर संवेदीकरण कार्यक्रम एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 3 पोर्टल "पंचायत दर्पण", "मनरेगा साफ्ट" एवं "आवास साफ्ट" के उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम होने संबंधी सूचना से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया.

## 4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की अशोक नगर के कई ग्रामों में सीमांकन का कार्य न होने,

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की इंदौर उज्जैन संभाग में नियम विरूद्ध नर्सिंग होम, सोनोग्राफी सेंटरों का संचालन होने,

(3) श्री आरिफ अकील, सदस्य की पुराने भोपाल में यातायात व्यवस्था खराब होने,

(4) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य की होशंगाबाद में संरक्षित भूमि को आवंटित किये जाने,

(5) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के सुमावली अंतर्गत चन्दपुरा बंडपुरा की सड़क का निर्माण किये जाने,

(6) श्री अजय सिंह, सदस्य की इंदौर नगर निगम में पेंशन घोटाले पर जांच समिति की अनुशंसा पर कार्यवाही न होने,

(7) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर के छोटा बांगडदा क्षेत्र में पेयजल संकट होने,

(8) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्य की मुरैना जिले के दिमनी क्षेत्र में ओला एवं अतिवृष्टि से फसल नुकसानी का सर्वे कार्य में अनियमितता होने,

(9) श्री संजय शर्मा, सदस्य की तेंदूखेड़ा में एवं आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत बंद होने

(10) श्रीमती उषा चौधरी, सदस्य की सतना के श्री रीफैक्ट्रीज द्वारा श्रमिकों को बढ़ी हुई दर से मंहगाई भत्ता न दिये जाने तथा

(11) श्री संजय पाठक, सदस्य की खजुराहो के बांधवगढ़ को जोड़ने वाली सड़क को बंद किये जाने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

## 5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने –

(क) (i) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन राज्य का वित्त,

(ii) आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 (वर्ष 2015 का प्रतिवेदन क्रमांक-1),

(iii) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर, वर्ष 2013-14 (वर्ष 2015 का प्रतिवेदन क्रमांक-2),

(iv) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) वर्ष 2013-14 (वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या-3), तथा (v) राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (वर्ष 2014 का प्रतिवेदन क्रमांक-5), तथा

(ख) वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं –

(i) क्रमांक एफ-ए-3-11-2015-1-पांच (19), दिनांक 31 मार्च, 2015,

(ii) क्रमांक एफ-ए-3-24-2015-1-पांच (23), दिनांक 15 मई, 2015 तथा

(iii) क्रमांक एफ ए3-10-2015-1-पांच (21), दिनांक 9 अप्रैल, 2015

पटल पर रखीं.

(2) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल की वार्षिक रिपोर्ट (प्रशासकीय प्रतिवेदन) वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 पटल पर रखे.

## 6. गर्भगृह में प्रवेश कार्यवाही में व्यवधान

### इण्डियन नेशनल कांग्रेस के कुछ सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश कर कार्यवाही में व्यवधान करना

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य सर्वश्री सुन्दरलाल तिवारी, रामनिवास रावत एवं यादवेन्द्र सिंह द्वारा गर्भगृह में आकर अपनी बात लगातार कही गई किन्तु व्यवधान के मध्य सदन की कार्यवाही जारी रही.

## 7. पत्रों का पटल पर रखा जाना (क्रमश:)

(3) श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने –

(क) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2012-13 (संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र.ग्वालियर द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां), तथा

(ख) मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-2015

पटल पर रखे.

(4) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने –

(क) मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 50 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11 एवं 51 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2011-12, तथा

(ख) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 51 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13

पटल पर रखे.

(5) श्री राजेन्द्र शुक्ल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 पटल पर रखा.

(6) श्रीमती माया सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 पटल पर रखे.

(7) श्री लालसिंह आर्य,राज्यमंत्री,नगरीय विकास एवं पर्यावरण ने –

(क) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15,

(ख) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 एवं 2012-13, तथा

(ग) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-13

पटल पर रखे.

(8) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य, मंत्री ने मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2008-09 पटल पर रखे.

(9) श्री दीपक जोशी, राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा ने स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-37-2-2015-बीस-3, दिनांक 11 फरवरी, 2015 पटल पर रखी.

## 8. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम 138 (3) को शिथिल करके, आज की दैनिक कार्य सूची में उल्लेखित 4 ध्यान आकर्षण सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाने एवं शासन के वक्तव्य पटल पर रखे हुए माने संबंधी घोषणा की गई. तद्नुसार -

(1) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने इन्दौर शहर में शीशा लाउंज पर रोक न लगाने,

(2) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर क्षेत्र में ओला एवं अतिवृष्टि से पीड़ित कृषकों को उचित मुआवजा न दिये जाने,

(3) डॉ. मोहन यादव, सदस्य ने उज्जैन में हरिफाटक पुल से रामघाट तक फोरलेन सड़क निर्माण का कार्य अपूर्ण होने तथा

(4) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य ने जबलपुर जिले के पनागर क्षेत्र के बरेला में फ्लोराइड युक्त पानी पीने संबंधी ध्यानाकर्षण सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई एवं संबंधित मंत्रियों के उन पर वक्तव्य पटल पर रखे हुए माने गये.

## 9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 88, पुष्पराजगढ़ (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री फुन्देलाल सिंह मार्को को विधान सभा के जुलाई, 2015 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई.

## 10. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री जय सिंह मरावी, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का चतुर्थ एवं पंचम् (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया.

(2) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सभापति ने लोक लेखा समिति का उन्नीसवां से अड़तालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया.

(3) श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 54 वां से 65 वां तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया.

(4) श्री गिरीश गौतम, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया.

## 11. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकायें प्रस्तुत हुई मानी गईः-

(1) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(2) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(3) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(4) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(5) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)

## 12. अध्यक्षीय घोषणा

### शासकीय विधेयकों को आज ही पुरःस्थापन विचार में लिये जाने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2015 (क्रमांक 10 सन् 2015) मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2015 (क्रमांक 11 सन् 2015) एवं मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 12 सन् 2015) की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश की कंडिका 24 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को शिथिल कर आज ही पुरःस्थापन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा विचार में लिए जाने का निर्णय लिया है.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

## 13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2015 (क्रमांक 10 सन् 2015) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2015 (क्रमांक 11 सन् 2015) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

(3) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 12 सन् 2015) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

(4) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 4 सन् 2015) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 4 सन् 2015) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(5) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 (क्रमांक 5 सन् 2015) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 6 इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 (क्रमांक 5 सन् 2015) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(6) श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2015 (क्रमांक 6 सन् 2015) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 25 इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री बाबूलाल गौर ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2015 (क्रमांक 6 सन् 2015) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(7) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2015 (क्रमांक 10 सन् 2015) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री उमाशंकर गुप्ता ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2015 (क्रमांक 10 सन् 2015) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(8) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2015 (क्रमांक 11 सन् 2015) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 19 इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2015 (क्रमांक 11 सन् 2015) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(9) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 12 सन् 2015) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 8 इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया ने मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 12 सन् 2015) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

## 14. वर्ष 2015-2016 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाएं, तदनुसार, श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि –

" दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75 तथा 77 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर आठ हजार पांच सौ तिरासी करोड़, नवासी लाख, इकतालीस हजार, दौ सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए.".

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.
अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

## 15. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2015 (क्रमांक 8 सन् 2015) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2015 (क्रमांक 8 सन् 2015) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

## 16. वर्ष 1997-1998 की अधिकाई अनुदानों की मांगों का मतदान

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि –

" दिनांक 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 7, 20, 20, 21, 24, 27, 58, 61, 67 तथा 69, के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को दो सौ तिरानवे करोड़, बानवे लाख, उनतालीस हजार, छः सौ बयासी रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाए.".

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.
अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

## 17. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2015 (क्रमांक 9 सन् 2015) पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

खण्ड 2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2015 (क्रमांक 9 सन् 2015) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस एवं बहुजन समाजवादी पार्टी के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में बैठकर लगातार नारेबाजी की जाती रही.)

## 18. विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने विषयक प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि – "विधान सभा के वर्तमान जुलाई, 2015 सत्र के लिये नियत आवश्यक शासकीय कार्य एवं वित्तीय कार्य पूर्ण हो चुके हैं. अतः मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 12-ख के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## 19. राष्ट्रगान "जन गण मन" का समूहगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूह गान किया गया।

## 20. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना

मध्याह्न 12.13 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

**भगवानदेव ईसरानी,**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा**

**भोपालः**
**दिनांकः 22 जुलाई, 2015**